न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 39/**2024** अपील (राजस्व)

GCMS No. 2024/349

शंभूलाल पिता श्री नथा रेबारी निवासी करणजी का गुडा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुराबड, उदयपुर (राज.)

— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 396 दिनांक 24.10.2018 तहसीलदार गिर्वा उदयपुर राजस्थान

उपस्थित : श्री मनोज कोठारी, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री कल्पित जैन, पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—22-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि वाके राजस्व ग्राम डेडरो की ढाणी पटवार हल्का भेसडा खुर्द वर्तमान तहसील कुराबड (पूर्व तहसील गिर्वा) उदयपुर में स्थित है जिसकी आराजी संख्या 210 रकबा 0.1800 हे. जिसके नये खाता संख्या 70 व पुराने 59 है। उक्त भूमि भेरूलाल पिता रामलाल रेबारी निवासी डेडरो की ढाणी से दिनांक 14.11.2013 को क्रय की थी जिसका अमल दरामद जमाबन्दी रेकर्ड में मेरे नाम नामान्तरण खुलकर हो गया उक्त भूमि पर वर्तमान में मेरा कब्जा है।

पटवार हल्का भैसडा खुर्द की निवासी केलन पत्नी शंभूलाल रेबारी एवं बसंती पुत्री शंभूलाल ने पटवार हल्का भैसडा खुर्द में अपने मृत पिता शंभूलाल का नामान्तरण अपने नाम पर खोलने का आवेदन किया क्योंकि इनके पिता का नाम भी शंभूलाल पिता नथा रेबारी था व खाते में साकिन्दे दर्ज था इसलिये पटवारी द्वारा कम्प्यूटर से रेकर्ड देखने पर अपीलाण्ट की भूमि की खाते की नकल दर्शित हुई क्योंकि अपीलाण्ट का नाम पिता का नाम एवं जाति व केलन कुष्या बसन्ती के पिता का नाम उसके पिता का नाम व जाति एक ही होने की वजह से सहवन से अपीलाण्ट की उपरोक्त भूमि का नामान्तरण इन व्यक्तियों के नाम पर खुल गया है। उपरोक्त

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 39/24 राजस्व
शम्भूलाल बनाम सरकार
GCMS No. 2024/349

त्रुटि खातेदार का नाम, पिता का नाम, जाति व दोनो खातो मे निवासी सदेह लिखा होने के कारण हो गई है जो एक मानवीय भूल है इसलिये उसे तुरन्त सुधारा जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 396 दिनांक 24.10.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार कुराबड द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल फाईल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपील में अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा राजस्व ग्राम डेडरो की ढाणी तहसील गिर्वा (हाल कुराबड) की आराजी संख्या 210 रकबा 0.1800 हे. भूमि भेरूलाल पिता रामलाल रेबारी निवासी डेडरो की ढाणी से दिनांक 14.11.2013 को क्रय की गई एवं अमल दरामद भी हो गया एवं वर्तमान में मेरा कब्जा है। इसी ग्राम के शंभूलाल की मृत्यु हो जाने से केलन पत्नी शंभूलाल रेबारी एवं बसंती पुत्री शंभूलाल ने नामान्तरण खोलने हेतु आवेदन किया। अपीलाण्ट का नाम, पिता का नाम एवं जाति व केलन कुष्या बसन्ती के पिता नाम व जाति एक ही होने एवं दोनो खातो में सहेद लिखा होने की वजह से सहवन से अपीलाण्ट की भूमि का नामान्तरण इन व्यक्तियों के नाम खुल गया जो एक मानवीय भूल है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 396 दिनांक 24.10.2018 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार कुराबड़ की रिपोर्ट के आधार पर नामांतरकरण में मानवीय भूल मानते हुए नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु सहमति दी गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुराबड़ की रिपोर्ट अनुसार रोटेशन जमाबंदी संवत् 2070–73 में नवीन खाता संख्या 17 पुराना खाता संख्या 70 में क्रेता शम्भूलाल पिता नथा रेबारी निवासी करण जी का गुडा, तहसील गिर्वा ग्राम डेडरों की ढाणी मूल निवासी (सा. देह) दर्ज हो जाने से अन्य व्यक्ति शम्भूलाल पिता नथा रेबारी निवासी डेडरो की ढाणी का विरासत से नामांतरकरण संख्या 396 दर्ज करते समय सहवन से खाता संख्या 17 में भी शम्भू पिता नथा रेबारी निवासी डेडरो की ढाणी के वारिसान केलन पत्नी शम्भूलाल, कुष्या पुत्री शम्भूलाल, वसंती पुत्री शम्भूलाल सा. देह के नाम दर्ज हो गयी, जो कि गलत है। मृतक शम्भूलाल एवं अपीलार्थी शम्भू का नाम, पिता का नाम, जाति एवं निवासी सा. देह राजस्व रेकर्ड में समान दर्ज होने से नामांतरकरण में मानवीय भूल हुई है।

उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कुराबड़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर शम्भू पिता नथा रेबारी 3/4 हिस्सा सा. करण जी का गुडा के स्थान पर केलन पत्नी शम्भूलाल, कुष्या पुत्री शम्भूलाल, वसंती पुत्री शम्भूलाल रेबारी सा. देह 3/4 हिस्सा मानवीय भूल से दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार गिर्वा

जिला कलक्टर
उदयपुर

(हाल तहसील कुराबड़) द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 396 दिनांक 24.10.2018 को अपास्त किया जाकर इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक शम्भूलाल एवं अपीलार्थी शम्भूलाल की राजस्व ग्राम डेडरो की ढाणी पटवार हल्का भैंसडा खुर्द में स्थित आराजी संख्या 210 रकबा 0.1800 हे. के संबंध में रिकार्ड एवं पंजीबद्ध दस्तावजे अनुसार जांच करते हुए नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा हाल कुराबड को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर